न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 66/2025 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

रूपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

अनीष मित्तल (मालिक/विकेता) पुत्र सुरेश चन्द मित्तल मैसर्स मॉडर्न फूडस बी–72, रणजीत नगर भरतपुर निवासी बी–72 रणजीत नगर भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. श्री चन्द्रशेखर शर्मा एड0 गैरसायल

निर्णय

दिनांक : 28.01.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 25.11.2025 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 28.01.2026 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 1.04.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स मॉडर्न फूडस बी–72, रणजीत नगर भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विकय हेतु दुकान में रखे हुए डीप फिज में 700–700 मिली0 के लगभग 42 पैकेट **Ice cream Strawberry (Havmor)** रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/338/एक्ट/2025/358 दिनांक 28.04.2025 द्वारा उक्त **Ice cream Strawberry (Havmor)** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का **Ice cream Strawberry (Havmor)** विकय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

(5)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स मॉडर्न फूडस बी–72, रणजीत नगर भरतपुर से **Ice cream Strawberry (Havmor)** की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त **Ice cream Strawberry (Havmor)** के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह विनिर्मता कम्पनी से हुई है। अप्रार्थी मात्र एक खुदरा विक्रेता है उसे **Ice cream Strawberry (Havmor)** में किस तथ्य को रखा गया है उसकी जानकारी/दायित्व विनिर्मता कम्पनी का है। उक्त **Ice cream Strawberry (Havmor)** की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 1.04.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स मॉडर्न फूडस बी–72, रणजीत नगर भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में रखे हुए डीप फ्रिज में 700–700 मिली0 के लगभग 42 पैकेट **Ice cream Strawberry (Havmor)** रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/338/एक्ट/2025/358 दिनांक 28.04.2025 द्वारा उक्त **Ice cream Strawberry (Havmor)** का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15,000/–रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)